



भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़
पंजाब एवं चंडीगढ़, कारपोरेट भवन
प्लॉट नम्बर 4-बी, सेक्टर 27-बी, चंडीगढ़
फोन नम्बर: 0172 2639415, 2639416

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES
PUNJAB AND CHANDIGARH, CORPORATE BHAWAN
PLOT NO.4-B, SECTOR 27B, CHANDIGARH
PHONE NO.172-2639415, 2639416

No.ROC/CHD/NCLT/ 8036 to 8047

Dated: 6/2/2017

To

- (1) M/s.SPT Waterproofing Specialists,
Plot No.203, Iron Market, Sector-29-D,
CHANDIGARH.
- (2) M/s H2O Chemcure,
Showroom No.13-A, Sector-7C,
Madhya Marg, Chandigarh
- (3) M/s Structural Protection Technocrats & Waterproofing
Specialists.
59-B, Swastik Vihar, MDC, Sector-5,
Panchkula, (Haryana).
- (4) Zandu Enterprises,
Waterproofing Constructions,
No.564, Phase-9, Industrial Area,
Mohali, Chandigarh-140 110.
- (5) M/s. UTI Infrastructure Technology And Services Ltd,
(Govt. of India Undertaking)
Northern Regional Office,
Ground Floor, Jeevan Tara Building,
Opp. Patel Chowk Metro Station, 5, Parliament Street,
New Delhi-110 001
- (6) The General Manager,
(Business Development)
M/s. NBCC Limited, Lodhi Road,
NBCC Bhawan,
New Delhi-11 003

-2-

- (7) M/s. Vasu Contractors And Suppliers,
H.NO.586, Sector-4, Panchkula
- (8) The Specialists,
1015/11, Deep Complex,
Hallo Majra,
CHANDIGARH.
- (9) E-Governance Cell (Kind Attn: G.V.Subbaiah, Under Secretary),
Ministry of Corporate Affairs, New Delhi for uploading the same
in the website of the Ministry for wide publicity.
- (10) RD (NR), MCA, New Delhi for displaying on notice board)
- (11) ROC, office, Chandigarh Notice Board

Sub: Short Tender Notice for inviting quotations for repair of seepage /leakage of water in the Corporate Bhawan building, Plot No.4-B, Sector-27-B, Madhya Marg, Chandigarh-160 019-reg.

I am directed to invite the quotations on behalf of Ministry of Corporate Affairs, New Delhi for repair of seepage /leakage of water in the various offices of Ministry of Corporate Affairs situated at Corporate Bhawan building, Plot No.4-B, Sector-27-B, Madhya Marg, Chandigarh-160 019 and to state that the copy of notice dated 06.02.2017 is enclosed with a request to submit their quotation to the office of ROC, Chandigarh at above address by 28th February, 2017 upto 5.00 PM.

Yours faithfully,



(Santosh Kumar)
Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

6/2/17



भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़
पंजाब एवं चंडीगढ़, कारपोरेट भवन
प्लॉट नम्बर 4-बी, सेक्टर 27-बी, चंडीगढ़
फोन नम्बर: 0172 2639415, 2639416

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES
PUNJAB AND CHANDIGARH, CORPORATE BHAWAN
PLOT NO.4-B, SECTOR 27B, CHANDIGARH
PHONE NO.172-2639415, 2639416

No.ROC/CHD/NCLT/ 8047

Dated: 06.02.2017

NOTICE

Quotation are hereby invited on behalf of President of India from interested parties/Firms/Companies for repair with regard to the Seepage and Leakage of water in the Corporate Bhawan building situated at Corporate Bhawan, Plot No.4-B, Sector-27-B, Madhya Marg, Chandigarh-160 019. The Seepage & Leakage in the building is causing damaged to the false ceiling of the ground floor of the building at some places particularly during rain fall and overflow of water tank at roof. Detailed quotations/rates duly signed by authorized person giving full name, address and contract Telephone numbers etc. may be furnished by 28th February, 2017 up to 5.00 PM addressed to the O/O, Registrar of Companies Punjab & Chandigarh at the aforesaid address and the opening of bids shall take place on 10th March, 2017 at O/O, Registrar of Companies Punjab & Chandigarh, Corporate Bhawan, Plot No.4-B, Ist Floor, Sector-27-B, Madhya Marg, Chandigarh-160 019 Chandigarh at 2.00 P.M.

1. The bidder shall on inspection of the building should examine the reasons of water leakage in the building causing damage at ground floor of the building by employing the expert/engineer and take proper measurement for giving its estimate/quotation for said repair work.
2. The bidder shall clearly mentioned the specification of the work to be done for repair of Seepage & Leakage in the building. The bidder shall also clearly mention about the treatment/procedures to be adopted for repair of all roofs of the building. The bidder shall also mentioned the period within which the firm is able to complete the work after award the said work.
3. The bidder shall give the guarantee of the work to be completed for period of not less than 1 year after completion of the work. In terms of Rule 158 of GFR, the bidder shall furnish Bank Guarantee of 10% of its quotation amount as security for his performance guarantee given for repair of the building.
4. No advance amount will be given for the said repair work and the bidders shall use their own material & manpower in carrying out the above repair.

5. The bidder should preferably be based at Chandigarh and the bidders should be well conversant with the work to be carried out and must have already performed similar work within time frame of any other Govt. Office. The bidder shall adopt all safety measures under the law while carrying out the said repair work particularly working at top of the roof.
6. The submission of bid will not put this Office under any obligation for awarding the work to the bidder and the expenses incurred in this regard shall not be borne by the Govt.
7. The bidder should ensure the completion of work within stipulated time as mentioned in its quotation.
8. The bill for payment in duplicate should be submitted along with certificate of civil engineer that the said repair work has been completed as per specification of work mentioned in the quotation of the firm and in the engagement letter and also within the time frame mentioned in the contract/engagement letter for the said work.
9. If water Leakage in the building causing damage at ground floor is happening within one year from the completion of the work, the firm shall repair again at its own cost and fresh period of Guarantee will start from the 2nd time repair of the work and performance guarantee of 10% of amount will be revoked by the Government unless fresh bank guarantee 1 year is furnished by firm. The firm will also liable for all damage and cost to the Govt. on account of leakage in the building during the Guarantee period.
10. In case of non-completion of assignment beyond 3 months over stipulated time or any damage caused to the Govt. property/Building, no payment shall be made to the Contractor concerned. An affidavit to this effect is to be furnished by all the bidders along with the tenders.

Interested parties/contractors can visit the Office of Registrar of Companies, Punjab & Chandigarh at Corporate Bhawan, Plot No.4-B, 1st Floor, Sector-27-B, Madhya Marg, Chandigarh-160 019 on any working day from 11.00 am to 4.00 pm to ascertain the quantum of work.



Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh
On behalf of Infra Division
Ministry of Corporate Affairs



भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़
पंजाब एवं चंडीगढ़, कारपोरेट भवन
प्लॉट नम्बर 4-बी, सेक्टर 27-बी, चंडीगढ़
फोन नम्बर: 0172 2839415, 2839416

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES
PUNJAB AND CHANDIGARH, CORPORATE BHAWAN
PLOT NO.4-8, SECTOR 27B, CHANDIGARH
PHONE NO.172-2639415, 2639416

संख्या/No.ROC/CHD/NCLT/

दिनांक/Dated: 06.02.2017

सूचना/NOTICE

भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय की ओर से इच्छित पार्टी/समूह/कंपनियों से निविदा आमंत्रित की जाती है - होने वाले कार्य का विवरण:- सरकारी कार्यालय से संबंधित इमारत/भवन की छत की मरम्मत जल टपकना/जल का रिसाव दूर करने का कार्य कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ कंपनी पंजीयक, चंडीगढ़, अर्थात् कारपोरेट भवन, प्लॉट सं0-4 बी0, सेक्टर-27 बी0, मध्य मार्ग, चंडीगढ़- 160019 स्थित कार्यालय में होने वाले कार्य के लिए आपसे निविदा/दर निम्न शर्तों के साथ आमंत्रित की जाती है, जो प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पूर्ण नाम के साथ हस्ताक्षरित, सम्पूर्ण पता एवं संपर्क संख्या (दूरभाष नं0) आदि दिनांक 28 फरवरी 2017 तक कंपनी पंजीयक, पंजाब एवं चंडीगढ़ को उपर्युक्त पते पर प्रेषित करें। सभी प्राप्त निविदाओं को दिनांक 10 मार्च 2017 को दोपहर 2 बजे खोला जाना है:

1. निविदाकर्ता द्वारा संबंधित भवन का निरीक्षण किन्हीं अनुभवी अभियंता द्वारा जाँच कराना होगा एवं उक्त भवन में जल टपकना/पानी रिसाव से भूतल पर होने वाले क्षति आदि के कारणों का पता लगाना होगा। तदुपरांत निविदाकर्ता यह भी सुनिश्चित करेगा की भूतल पर क्षति के कारणों को ध्यान में रखते हुए उसे अनुभवी अभियंता द्वारा भवन में न्यायोचित कार्य के लिए सामग्री/मिस्त्री-मजदूर सेवाओं का आकलन भी करेगा।
2. उपर्युक्त भवन से संबंधित कार्य हेतु निविदाकर्ता को वर्णन करना होगा:- किये जाने वाले कार्य का वर्णन, जिस भवन में जल का टपकना एवं पानी का रिसाव का मरम्मत कार्य होना है, उसे स्पष्ट बताना होगा कि करने वाले कार्य की प्रकृति/तरीका जो अपनाया जाना है और भवन की सभी छतों के कार्यों के विषय में भी निविदाकर्ता को यह भी बताना होगा कि इस कार्य के लिए कितने कार्य दिवस का समय लगेगा।

क्रमशः.....2/-

3. निविदाकर्ता को गारंटी देनी होगी कि उपर्युक्त कार्य एक वर्ष में पूरा होगा या एक वर्ष से ज्यादा में । जी0एफ0आर0 के नियम 158 के संदर्भ में निविदाकर्ता को अपने संभावित निविदा राशि के 10% बैंक गारंटी भवन मरम्मत कार्य एवं सुरक्षा हेतु प्रस्तुत करना होगा ।
4. उपर्युक्त वर्णित निविदाकर्ता द्वारा किये जाने वाले मरम्मत कार्य हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान देय नहीं होगा । निविदाकर्ता को उपर्युक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं के सामग्री और मानव शक्ति का उपयोग करना होगा ।
5. चंडीगढ़ के वासी, किन्तु पूर्ण अनुभवी निविदाकर्ता जिसे पहले से विभिन्न प्रकार के ऐसे संबंधित कार्य सरकारी कार्यालयों में किये हों को प्राथमिकता दी जायेगी । निविदाकर्ता को कार्य करते रहने के समय पर विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी कानून का अनुपालन पर विशेष ध्यान रखना होगा, कार्य या तो छत पर हो या शीर्ष पर हो ।
6. संबंधित निविदाकर्ता निविदा प्रस्तुत करते समय यह न समझे कि यह प्रस्तुतीकरण संभावित (उपरोक्त कार्य) उसे पारितोषिक/उपहार के रूप में उपलब्ध हो रहा है, और इससे संबंधित कार्य हेतु किये गये खर्चों को किसी भी रूप में सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा ।
7. निविदाकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित वर्णित कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरा करना होगा, जैसे निविदाकर्ता द्वारा इस सूचना में वर्णित है और पूर्व में ही हमसे मान्यता ली गई है ।
8. भुगतान बिल (दो प्रति) समय आने पर सिविल इंजीनियर/सिविल अभियंता द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । संबंधित प्रमाण-पत्र में मरम्मत कार्य अनुबन्धानुसार/अन्य तय समय-सीमाओं के आधार पर उल्लेखित सीमा के अन्दर कार्य समाप्ति विशिष्टता के रूप में सम्पूर्ण उल्लेख हो को प्रस्तुत करना होगा ।
9. यदि कार्य समाप्ति के बाद एक वर्ष के अन्दर पुनः भवन में पानी रिसाव हुआ तो निविदाकर्ता को पुनः स्वयं की खर्च और निजी उत्तरदायित्व पर कार्य को पूर्णरूपेण करना होगा और वही कार्य किये जाने की पूर्णरूपेण समाप्ति के तुरन्त बाद से अगले एक वर्ष की समय सीमा प्रारम्भ हो जायेगी और पूर्व में किया गया भुगतान आर्थात् 10% की गारंटी राशि समाप्त मानी जायेगी । परिणामस्वरूप पुनः उसी तरह की बैंक गारंटी (10%) निविदाकर्ता द्वारा भारत सरकार के हक में

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा। गारंटी अवधि के दौरान भवन में पानी रिसाव के कारण सभी क्षति और सरकार को लागत के लिए निविदाकर्ता का उत्तरदायित्व होगा।

10. यदि निर्धारित समय-सीमा/अन्य शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण होने में तीन महीने से ज्यादा अर्थात् फालतू समय में भी काम पूर्ण न होने पर उस ठेकेदार/निविदाकर्ता को भारत सरकार द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा। इस शर्त को प्रभावशील करने हेतु सभी ठेकेदार/निविदाकर्ता द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र भी पहले ही प्रस्तुत करना होगा।

इच्छित पार्टियों/निविदाकर्ताओं कंपनी पंजीयक, पंजाब एवं हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालयों में कार्य को देखने के लिए साधारण कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक कारपोरेट भवन, प्लॉट सं0-4बी, सेक्टर-27बी, मध्य मार्ग चंडीगढ़ 160019 का दौरा कर कार्य विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सतीश कृ०

कंपनी पंजीयक, चंडीगढ़
इंफ्रा प्रभाग की ओर से
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली